

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

नाम मण्डावर बनाम गिरिजा
मु.नं. 38/24 (C.D.)

7/3/25 को पेश हो चुका है ✓

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

4/3 7/3/25 फावली पेश हुई वकील प्रार्थी
अव्यक्त / फावली लम्बे समय से नली में लंघित
होने प्रार्थी / वकील को वाक - 2 निर्देशों के बावजूद
गमिलों / डाक रसीदें पेश नहीं की जा रही हैं और
निर्देशों की कम्प्लेनस भी जा रही हैं। इससे
स्पष्ट है कि प्रार्थी / वकील फावली में कोई कार्यवाही
के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए फावली में
कार्यवाही कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।
अतः फावली आदेश 9 नियम & CPC (जहाँ
सम्मनों की गमिलों खर्च देने में वकील के असफल
रहने के परिणामस्वरूप नहीं हुई है वहाँ वाक का
स्वार्थ किया जाना) के अन्तर्गत उचित प्रवृत्तियों
का प्रयोग करते स्वार्थ ही जाती है। फावली
कैलल शुभार होकर साखिल सफर हो चुका है। ✓

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)